

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI**

No.F.14(16)/LA-2009/LJ/10/*lclaw*/1

Dated 6th the January, 2010

NOTIFICATION

No.F.14(16)/LA-2009/LJ-2009/LJ/10/*lclaw*/1 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 1st January, 2010 and is hereby published for general information:-

**“THE DELHI VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2009
(DELHI ACT 01 OF 2010)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 16th December, 2009)

[1st January, 2010]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, extent and commencement.** – (1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.
(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
2. **Amendment of section 4.** – In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as “the principal Act”), in section 4, in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -
“(b) in respect of goods specified in the Third Schedule, at the rate of five paise in the rupee:

Provided that tax shall be paid at the rate of four paise in the rupee of the taxable turnover of the dealer pertaining to declared goods, as defined from time to time in the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956);”.



3. Amendment of section 9. – In the principal Act, in section 9, -

- (a) in sub-section (1), for the words “where the purchase arises”, the words “to the extent of proportion of the goods which have been put to sale” shall be substituted;
- (b) in sub-section (2), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

“(g) to the dealers or class of dealers unless the tax paid by the purchasing dealer has actually been deposited by the selling dealer with the Government or has been lawfully adjusted against output tax liability and correctly reflected in the return filed for the respective tax period.”.

4. Amendment of section 10. – In the principal Act, in section 10, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely: -

“(5) Where the goods which have been purchased by a dealer are sold at a price lower than the price at which it was purchased by the dealer, the tax credit on such purchases shall be reduced proportionately in the tax period during which the goods are sold.

Explanation. - The tax credit claimed on a particular purchase shall not exceed the amount of tax payable on its sale.”

5. Amendment of section 74. – In the principal Act, in section 74, in sub-section (10), for the word “five”, the word “six” shall be substituted.

6. Amendment of section 74A. – In the principal Act, in section 74A, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely: -

"(5) Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, the provisions of this section shall be deemed to have come into effect with effect from the 1st April, 2005."

7. **Substitution of new section for section 103.** – In the principal Act, for section 103, the following section shall be substituted, namely: -

"103. Power to amend Schedules. - (1) If the Government is of opinion that it is expedient in the interest of general public so to do, it may, by notification in the official Gazette, add to, or omit from, or otherwise amend, the First, the Second, the Third, the Fourth, the Fifth, the Sixth, or the Seventh Schedules, either retrospectively or prospectively, and thereupon the said Schedules shall be deemed to have been amended accordingly:

Provided that no such amendment shall be made retrospectively if it would have the effect of prejudicially affecting the interests of a dealer.

(2) The Commissioner may, on the recommendation of the Ministry of External Affairs, Government of India, if he is of opinion that it is expedient in the interest of general public so to do, by a notification in the official Gazette, add to, or omit from, or otherwise amend, the Sixth Schedule." "

S Rao

(Savita Rao)

Joint Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र भाग-4(असाधारण) में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नयी दिल्ली-110 002.

सं0फा0 14(16)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/१६.१.१०/१

दिनांक: ८ जनवरी, 2010

अधिसूचना

सं0फा0 14(16)/एल.ए.-2009/एल.जे./10/१६.१.१०/१ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की दिनांक 01 जनवरी, 2010 को मिली सहमति के पश्चात् दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है:-

“दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(2010 का दिल्ली अधिनियम 01)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2009 को यथा पारित)

(01 जनवरी, 2010)

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 में संशोधन करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमति हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ .- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम , 2009 है।
(2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है।
(3) यह उस तारीख को लागू होगा जो सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. धारा 4 का संशोधन .- दिल्ली मूल्य संवर्धित अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(ख) तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में, रुपये में पाँच पैसे की दर से:

बशर्ते कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) में समय-समय पर यथा परिभाषित धोषित वस्तुओं से संबंधित व्यापारी के कर योग्य सकल बिक्री का रुपये में चार पैसे की दर से कर का भुगतान किया जायेगा।”

3. **धारा 9 का संशोधन .-** मूल अधिनियम की धारा 9 की-

- (क) उपधारा (1) में "जहां खरीद की गई" शब्दों के स्थान पर "बिक्री के लिये रखी गई वस्तुओं के अनुपात की सीमा तक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ख) उपधारा (2) में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(छ) व्यापारी अथवा व्यापारियों की श्रेणियों को जब तक क्रेता व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया कर विक्रेता व्यापारी द्वारा सरकार के पास वास्तविक रूप से जमा न किया गया हो अथवा आऊटपुट कर देयता के लिए कानूनी रूप से समायोजित न किया गया हो तथा संबंधित कर अवधि के लिए प्रस्तुत विवरणी में सही रूप से प्रतिबिंबित न किया गया हो।"

4. **धारा 10 का संशोधन .-** मूल अधिनियम की धारा 10 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :-

"(5) जहां वे वस्तुएं जो, व्यापारी द्वारा खरीदी गई हैं उस मूल्य से कम मूल्य पर बेची गई हो जिस मूल्य पर व्यापारी द्वारा खरीदी गई थी, ऐसी खरीदों पर कर क्रेडिट, कर अवधि में अनुपातिक रूप से कम की जाएगी जिसके दौरान वस्तुएं बेची गई थी।

स्पष्टीकरण .- किसी विशेष खरीद पर दावित कर क्रेडिट उसकी बिक्री पर भुगतान योग्य कर की राशि से अधिक नहीं होगी।"

5. **धारा 74 का संशोधन .-** मूल अधिनियम की धारा 74 की उपधारा (10) में "पाँच" शब्द के स्थान पर "छह" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. **धारा 74क का संशोधन .-** मूल अधिनियम की धारा 74क में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

"(5) किसी न्यायालय के निर्णय डिक्री या आदेश में कुछ भी रहते हुए इस धारा के प्रावधानों को 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी समझा जायेगा।"

7. **धारा 103 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन .-** मूल अधिनियम में धारा 103 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

"103 अनुसूचियों में संशोधन करने की शक्ति .-(1) यदि सरकार का मत है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् अनुसूचियों में पूर्व प्रभाव अथवा उत्तर प्रभाव से जोड़ सकती है या हटा सकती है या अन्यथा संशोधन कर सकती है तथा तत्पश्चात् उक्त अनुसूचियाँ तदनुसार संशोधित समझी जायेंगी:

(2) यदि आयुक्त के मत में ऐसा करना लोकहित में समीचीन है तो वह विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिश पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा षष्ठम अनुसूची में जोड़ सकता है, हटा सकता है, अन्यथा संशोधन कर सकता है।”

(सविता राव)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)